

(सत्यप्रतिलिपि)

न्या.—अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.

(आदेश दिनांक 02 / 11 / 2020)

ज.या.क.—245 / 2020

कुमार दत्त दुबे आ. स्व. रामदत्त दुबे,
उम्र 59 वर्ष, निवासी गली नं. -1,
सेक्टर-03, प्रोफेशर कॉलोनी,
थाना पुरानी बस्ती रायपुर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

.....आवेदक / आरोपी

विरुद्ध

छ.ग. शासनअभियोजन

02-11-2020

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 62 / विविध / दो-14-01 / 2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक / आरोपी द्वारा श्री रमेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री एस.के.रंगारी, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

प्रकरण केस डायरी / जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर बल नहीं देना व्यक्त किया गया। अतः आरोपी की ओर से आवेदन पर बल न

देने के कारण आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित थाना भखारा की केस डायरी वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही / -

(ग्रेगोरी तिर्की)

अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. आदेश की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद, जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।
2. आदेश की प्रति सहित आरक्षी केन्द्र भखारा की केस डायरी वापस किया जावे।
4. लोक अभियोजक, धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/-

(ग्रेगोरी तिर्की)

अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)